

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail sdokot-kot-rj@nic.in 0744.232587

मिसल नम्बर - 2003/00014

1. राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा

बनाम

1. रामचन्द्र, प्रभु वल्द छोटू, हीरा बेवा छोटू हिस्सा 1/4
2. गोपाल, श्योपाल, किशोर वल्द देवा कौम गुर्जर हिस्सा 3/4

निवासीगण सकतपुरा कोटा

निर्णय

दिनांक 31/11/25

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

प्रार्थी तहसीलदार लाडपुरा द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 इस बाबत प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थीगण के खाते जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 के अनुसार ग्राम सकतपुरा में खसरा नम्बर 164 रकबा 05 बीघा 06 बिस्वा आराजी स्थित थी। दौराने सेटलमेंट उक्त नम्बरों के नए नम्बर खसरा नम्बर 162 रकबा 0.91 है0 बनाये गये। जबकि सेटलमेंट पूर्व के रकबे 05 बीघा 06 बिस्वा का मैट्रिक प्रणाली के अनुसार 0.85 है0 बनता है। भू प्रबंध विभाग द्वारा प्रार्थीगण के खाते 0.06 है0 रकबा अधिक दर्ज किया गया है। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा निवेदन किया गया है कि मिलान क्षेत्रफल अनुसार खसरा नम्बर 162 रकबा 0.91 है0 में से 0.06 है0 भूमि वाके ग्राम सकतपुरा को राजकीय सिवायचक दर्ज किया जावें। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ नकल मिलान क्षेत्रफल 2038 से 2057 जमाबंदी संवत् 2035 से 2038 जमाबंदी संवत् 2038 से 2057 संलग्न किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को तलब किया गया। वर्तमान में तहसीलदार लाडपुरा से मौका रिपोर्ट पुनः प्राप्त की गई।

तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार वर्तमान में खसरा नम्बर 162 रकबा 0.91 है0, नगर विकास न्यास कोटा (धारा 90बी) आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है उक्त खसरा नम्बरान में प्लानिंग कटी हुयी है। तथा घनी आबादी बसी हुई है।




उपखण्ड अधिकारी
कोटा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

E-mail ✉ sdokot-kot-rj@nic.in ☎ 0744.232587

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अवलोकन किया। हस्तगत प्रकरण में तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार विवादग्रस्त आराजी में से अधिकांश खसरा नम्बर वर्तमान में नगर विकास न्यास कोटा के नाम आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज रिकॉर्ड है। मौके पर प्लानिंग कट चुकी है।

हमारे विनम्र मत में हस्तगत आराजी के आवासीय प्रयोजनार्थ दर्ज होने तथा मौके पर आबादी बसी होने के कारण वर्तमान में इस न्यायालय को प्रकरण में निर्णय पारित करने की अधिकारिता प्राप्त नहीं है। अतः प्रकरण तहसीलदार लाडपुरा को इस निर्देश के साथ लौटाया जाता है कि भू प्रबंध के दौरान रकबे में हुए किसी भी परिवर्तन हेतु सक्षम न्यायालय में चारा जोरी करें।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दफ़तर हो।



(गजेन्द्र सिंह)
उपखण्ड अधिकारी,
कोटा अधिकारी
कोटा